राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ. 1(4)डीओपी/ए–II/2017 जयपुर, दिनांकः 31/7/2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7ख का प्रतिस्थापन.**– राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है के विद्यमान नियम 7ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

> "**7ख. महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**– सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह–महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तिया उसी वर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं सहित,

महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

3. **नियम 8च का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियमों 8च के उप–नियम (4) के विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थातः–

"परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन वह नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, तो वह निरर्हित नहीं होगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से कोई सन्तान उत्पन्न होती है।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

31/7/2018

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

48/2018